ग्राम पंचायत सिहोरपाईं, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिहोरपाईं, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सिहोरपाईं में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्रीमति बबली देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

1	श्री संदीप कुमार	.01.04.2022 से 20.03.2023
2	श्री अजय कुमार	21.03.2023 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत सिहोरपाईं के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना।	0.13
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	41.07

3	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतू शेष पाया जाना।	1.78
4	8	नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की वसूली न करना ।	0.95
5	9	औपचारिकतायें पूर्ण किय बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.27
6	10	पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करना ।	0.03
7	12	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में राशि के अन्तर बारे	0.20

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई । पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है । वर्तमान अकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	5	अनिर्णीत ।
2	7	अनिर्णीत ।
3	8	अनिर्णीत ।
4	9	अनिर्णीत ।
5	10	अनिर्णीत ।
6	11	अनिर्णीत ।
7	12	अनिर्णीत ।
8	14	अनिर्णीत ।
9	15	अनिर्णीत ।
10	16	अनिर्णीत ।

11	17	अनिर्णीत ।

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	4.3	अनिर्णीत ।
2	4.4	अनिर्णीत ।
3	5 (2)	अनिर्णीत ।
4	6	अनिर्णीत ।
5	7	अनिर्णीत ।
6	8	अनिर्णीत ।
7	9	अनिर्णीत ।
8	10	अनिर्णीत ।
9	11	अनिर्णीत ।
10	12	अनिर्णीत ।

3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । (अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	4 व 4.1	अनिर्णीत ।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	4.3	अनिर्णीत ।
5	4.4	अनिर्णीत ।
6	5	अनिर्णीत ।
7	6	अनिर्णीत ।
8	7	अनिर्णीत ।

9	7.1	अनिर्णीत ।
10	8	अनिर्णीत ।
11	8.1	अनिर्णीत ।
12	8.2	अनिर्णीत ।
13	8.3	अनिर्णीत ।
14	9	अनिर्णीत ।
15	9.2	अनिर्णीत ।
16	9.3	अनिर्णीत ।
17	10	अनिर्णीत ।
18	10.1	अनिर्णीत ।
19	11	अनिर्णीत ।
20	12	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत सिहोरपाईं, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.04.2024 से 25.04.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	07/2022	05/2022
2023–2024	03/2024	05/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :– इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत

सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत सिहोरपाईं, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 175 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत सिहोरपाईं, विकास खण्ड देहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत सिहोरपाईं के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	651260.00.	160467.00	29210.00	840937.00	97049.00	743888.00
2023–24	743888.00	3800.00	38883.00	786571.00	189492.00	597079.00

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत सिहोरपाईं के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	5497416.28	4528003.00	109053.00	10134472.28	4238336.4	5896135.88
2023–24	5896135.88	1579054.00	137161.00	7612350.88	3505386.00	4106964.88

टिप्पणी : अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चूक के कारण शीर्ष लाईवलीहुड के खाता संख्या 50068562288 ₹306651 को नहीं दिखाया

गया था जिसे वर्तमान अंकेक्षण में अनुदानों के आरम्भिक शेष में शामिल कर दिया गया है।

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,
GRDY,MMGPY,SDP,RAY,MPLAD,RGSA,SDRF,IWMP,Livelihood,

A/c No. 50055942264	KCCB Jawalamukhi	31588
A/c No. 20008005581	KCCB Jawalamukhi	267034
A/c No. 50055942195	KCCB Jawalamukhi	182172
A/c No.50055943347	KCCB Jawalamukhi	97341
A/C No. 50055935245	KCCB Jawalamukhi	108444
A/C No. 50055942253	KCCB Jawalamukhi	42594
A/c No. 50055942219	KCCB Jawalamukhi	150139
A/c No 50055935303	KCCB Jawalamukhi	11073
A/c No 50055942297	KCCB Jawalamukhi	137044
A/c No 50055942184	KCCB Jawalamukhi	12454
A/c No 50064297915	KCCB Jawalamukhi	5825
A/c No 50063835151	KCCB Jawalamukhi	79
A/c No 0717000102751997	PNB	181403
A/c No 50100313246730	HDFC	15988.58
A/c No 50100325710419	HDFC	3122976.3
A/c No. 50068562288	KCCB Jawalamukhi	324992
cash in hand		54
	Total	**4691200.88**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		597079
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	-42528
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	-83654
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	152750
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	15898.58
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	3122976.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	GRDY	41919
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	60094
Cash Book Balance on 31.03.2024	13TH	12256

Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	200336
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY	10897
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	94625
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	7096
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	187307
		2000
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP	324992
Cash Book Balance on 31.03.2024	Livelihood	0
	Total	**4704043.88**
	Diffrence	**12843**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.13 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹12843.00 बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत की अतिरिक्त निधि (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹ 5,97,079/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 178 दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया

जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹41.07 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹41,06,9648 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है ।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹1.78 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 व 34 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें व पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व ₹ 1,78,170/– (सम्पत्ति कर ₹ 1,46,570/–, विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1,600/– व मोबाईल टॉवर शुल्क ₹ 30,000/–) बसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	69370	44520	113890	12370	101520
2023–2024	101520	45250	146770	200	146570

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 179 दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹1,46,570/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः इतने अधिक पंचायत राजस्व को परादेय (outstanding) रखने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1600/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹ 200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसार ₹ 1600/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि (₹)
1	18	सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल	02.12.22	20.12.22	200	0	200
2	10	अक्षय कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार	27.04.23	05.05.23	200	0	200
3	11	अक्षय कुमार पुत्र श्री केवल सिंह	27.06.23	07.07.23	200	0	200
4	12	आशीष सूद पुत्र श्री अनिल सूद	02.07.23	07.07.23	200	0	200
5	13	विमल सिंह राणा पुत्र श्री हरनाम सिंह	29.06.23	29.07.23	200	0	200
6	14	जगदेव सिंह पुत्र श्री पुरशोतम सिंह	21.08.23	10.09.23	200	0	200
7	15	संजय कुमार पुत्र श्री जीत सिंह	08.09.23	13.09.23	200	0	200
8	04	पवन शर्मा पुत्र श्री शिव राज	12.02.24	20.02.24	200	0	200
							1600.00

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180 दिनांक 25.04..2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 1600/– की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹6,600/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹6,600/–** की वसूली की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ।**
1	2022–23	4200.00
2	2023–24	2400.00

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181 दिनांक 25.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में

वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें।

7.4 मोबाईल टॉवर फीस के रख रखाव का रजिस्टर तैयार न करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश मोबाईल टॉवर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की समुचित जाँच नहीं की जा सकी ।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–2)** अनुसार दिनांक 31.03.2022 को अथशेष व 31.03.2024 को अन्तशेष ₹ 30,000/– था व पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ग्राम पंचायत की अपनी भूमि पर कोई भी टॉवर नहीं हैं।

अतः देय मोबाईल टावर शुल्क की वसूली करके व सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवायें। दिनांक 31.03.24 को निम्नविवरणानुसार मोबाईल टॉवर के रूप में ₹ 30,000/– की वसूली शेष थी :–

वर्ष	**अथशेष**	**मोबाईल टावर की माँग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतू शेष राशि**
2022–23	30000	0	30000	0	30000
2023–24	30000	0	30000	0	30000

8. खनन सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.95 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजकीय राजस्व हानिः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है

अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹94,709/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 182 दिनांक 25.04.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 94,709/– के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24	रेत		161	1.62	260.82	80	20866.00
	बजरी		260.95	1.52	396.64	80	31731.00
	बोल्डर		129.3	2.24	289.63	80	23170.00
						कुल :	**75767.00**
						पैनल्टी 25 %	18942.00
						कुल योग:	**94709.00**

9. **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.27 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,26,618/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183 दिनांक 25.04.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गय क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत व्यय क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
28, 25.05.22	बिल नं0 527 दि0 15.04.22 मै0 निर्माण घर	सरिया	50535.00	नि0 पुली नाले पर संजीव कुमार की जमीन में 14th FC
29, 25.05.22	बिल नं0 505 दि0 16.03.22 मै0 निर्माण घर	सरिया	11777.00	नि0 पुली नाले पर संजीव कुमार की जमीन में 14th FC
63, 01.10.22	बिल नं0 1087 दि0 2.04.22 मै0 वर्मा ट्रेडर्ज	टाईल	25582.00	नि0 सामुदायिक भवन नगरोटा VKVNY

80, 01.03.24	बिल नं0 615 दि0 13.02.24 मै0 ठाकुर ब्रदर्ज	सरिया	9656.00	नि0 सामुदायिक भवन नगरोटा VKVNY
82, 01.03.24	बिल नं0 621 दि0 19.02.24 मै0 ठाकुर ब्रदर्ज	सरिया	8400.00	नि0 वाटर टैंक तरसेम इत्यादि 14th FC
83, 01.03.24	बिल नं0 619 दि0 16.02.24 मै0 ठाकुर ब्रदर्ज	सरिया	8668.00	नि0 वाटर टैंक तरसेम इत्यादि 14th FC
शून्य, 21.05.22	बिल नं0 2153 दि0 24.06.21 मै0 मदन फ्रूट प्लॉट नर्सरी	पौधे	12000.00	पौधारोपण रमेश कुमार मनरेगा
			126618.00	

10. मानदेय के रूप में ₹0.03 लाख के अधिक भुगतान करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वाउचर संख्या 63 दिनांक 01.11.2023 द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को 01.04.2023 से 30.06.2023 तक का तीन माह का भुगतान किया गया दर्शाया गया था, लेकिन जाँच में पाया कि प्रधान को तीन माह का भुगतान ₹6500/– प्रतिमाह की दर से ₹19500/– किया गया जबकि यह भुगतान ₹6000/– प्रतिमाह की दर से ₹ 18000/– किया जाना अपेक्षित था ।

इसके अतिरिक्त उप प्रधान को भी तीन माह का भुगतान ₹ 4500/– प्रतिमाह की दर से ₹13500/– किया गया था जबकि यह भुगतान ₹ 4000/– प्रतिमाह की दर से ₹ 12000/– किया जाना अपेक्षित था । इस अधिक भुगतान ₹ 3000/– हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184 दिनांक 25.04.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक किये गये ₹3000/– की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

11. प्राप्त अनुदान राशि से ₹1.26 लाख का अधिक व्यय करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24 में विभिन्न शीर्षों में अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु पंचायत की वित्तीय स्थिति के

अनुसार पंचायत द्वारा विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि से ₹ 1,26,182/– अधिक राशि खर्च की गई थी, जोकि अनियमित है :–

वर्ष	शीर्ष का नाम	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
2022-23	PS	0	30940	73468	42528
2023-24	5th State	61705	382730	528089	83654

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 185 दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त व्यय सभा निधि से किया गया है। अनुदान प्राप्त होने पर किये गये व्यय को सभा निधि में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12. प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आकड़ों में ₹0.20 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 20474/–की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्ट वेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	4683569.88
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	4704043.88
अन्तर	₹	20474.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170 दिनांक 16.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या पीसीएच–केएनजी–119 दिनांक 22.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वर्तमान अन्तर बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

14. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

16. लघु आपत्ति विवरणिका :–

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

02 JUL 2024

3095—3099 का०/पु०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)12/2016—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सिहोरपाई, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/पु०

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Sihorpain" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	0	30940	0	30940	73468	-42528
2	5 SFC	147915	287820	0	435735	374030	61705
3	VKVNY	94577	395000	0	489577	283191	206386
4	14TH FC	2435570.58	0	25180	2460750.58	1741981	718769.58
5	15TH FC	1984926.3	2646884	70108	4701918.3	794811	3907107.3
6	GRDY	41919	0	0	41919	0	41919
7	MMGPY	48980	0	0	48980	0	48980
8	13TH	12256	0	0	12256	0	12256
9	SDP	123099	250000	0	373099	41875	331224
10	RAY	10897	0	0	10897	0	10897
11	MPLAD	94625	0	0	94625	0	94625
12	SDRF	7096	0	0	7096	0	7096
13	1WMP	188904.4	0	5018	193922.4	11621.4	182301
14	RGSA	0	0		0	0	0
15	Livelihood	306651	0	8747	315398	0	315398
16	MNREGA	0	917359	0	917359	917359	0
	Total Rs.	5497416.28	4528003	109053	10134472.28	4238336.4	5896135.88

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Sihorpain" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	-42528	0	0	-42528	0	-42528
2	5 SFC	61705	382730	0	444435	528089	-83654
3	VKVNY	206386	100000	0	306386	153636	152750
4	14TH FC	718769.58	0	17313	736082.58	720184	15898.58
5	15TH FC	3907107.3	222716	105248	4235071.3	1112095	3122976.3
6	GRDY	41919	0	0	41919	0	41919
7	MMGPY	48980	100000	0	148980	88886	60094
8	13TH	12256	0	0	12256	0	12256
9	SDP	331224	100000	0	431224	230888	200336
10	RAY	10897	0	0	10897	0	10897
11	MPLAD	94625	0	0	94625	0	94625
12	SDRF	7096	0		7096	0	7096
	1WMP	182301		5006	187307		187307
13	RGSA	0	2000	0	2000	0	2000
15	Livelihood	315398		9594	324992		324992
16	MNREGA	0	671608	0	671608	671608	0
	Total Rs.	5896135.88	1579054	137161	7612350.88	3505386	4106964.88

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, GRDY,MMGPY,SDP,RAY,MPLAD,RGSA,SDRF,IWMP,Livelihood,

A/c No. 50055942264	KCCB Jawalamukhi	31588
A/c No. 20008005581	KCCB Jawalamukhi	267034
A/c No. 50055942195	KCCB Jawalamukhi	182172
A/c No.50055943347	KCCB Jawalamukhi	97341
A/C No. 50055935245	KCCB Jawalamukhi	108444
A/C No. 50055942253	KCCB Jawalamukhi	42594
A/c No. 50055942219	KCCB Jawalamukhi	150139
A/c No 50055935303	KCCB Jawalamukhi	11073
A/c No 50055942297	KCCB Jawalamukhi	137044
A/c No 50055942184	KCCB Jawalamukhi	12454
A/c No 50064297915	KCCB Jawalamukhi	5825

Secretary
Gram Panchayat Sihorpain
Dev. Block Dehra, Distt. Kangra H.P.

A/c No 50063835151	KCCB Jawalamukhi	79
A/c No 0717000102751997	PNB	181403
A/c No 50100313246730	HDFC	15988.58
A/c No 50100325710419	HDFC	3122976.3
A/c No. 50068562288	KCCB Jawalamukhi	324992
cash in hand		54
	Total	4691200.88

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		597079
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	-42528
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	-83654
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	152750
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	15898.58
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	3122976.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	GRDY	41919
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	60094
Cash Book Balance on 31.03.2024	13TH	12256
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	200336
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY	10897
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	94625
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	7096
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	187307
		2000
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP	324992
Cash Book Balance on 31.03.2024	Livelihood	0
	Total	4704043.88
	diffrence	12843

Checked

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिहोरपाई
वि०ख० देहरा, कांगड़ा, हि०प्र०

Financial Position of Own sources in r/o GP Sihorpain

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	651260	160467	29210	840937	97049	743888
2023-24	743888	3800	38883	786571	189492	597079

Checked

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिहोरपाई
वि०ख० देहरा, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट–2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Sihorpain Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	69370	44520	113890	12370	101520
2023-24	101520	45250	146770	200	146570
	@ 50/- Per Annum				

List of outstanding tower Fees for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Sihorpain Distt.Kangra,H.P.

2022-23	30000	0	30000	0	30000
2023-24	30000	0	30000	0	30000

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत सिहोरपाई
वि०ख० देहरा, कांगड़ा, हि०प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत सिहोरपाई तह ज्वालामुखी
जिला काँगड़ा हि.प्र.
विकास खण्ड देहरा

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की अपनी भूमी में कोई मोबाईल टावर नही है जो भी मोबाईल टावर है वो लोगों की निजी भूमि में लगे हैं।

Babli Devi

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत सिहोरपाई

वि०ख० देहरा, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट-3
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

Name of gram panchayat Sihorpain dev. Block Dehra Gopipur distt kangra H.P

2022-2023

sr. no.	name of work	head	vendor name	voucher no and date	bill no	bill date	sand ~~cft~~ M3	bajri ~~cft~~ M3	boulder M3	bricks no.
1	नि. लिंक रोड लिंक रोड से रसील चंद के घर तक	14th	सुनील कुमार	3/ 11/05/22	223	15-03-2022	12 M3	26 M3	20 M3	0
2	नि पुली नाले पर समीप संजीव कुमार जमीन	14th	सुनील कुमार	5/ 11/05/22	227	17-03-2022	10 M3	16 M3	2 M3	0
3	नि रास्ता मदन लाल की जमीन से किशन चंद	14th	सुनील कुमार	7/ 11/05/22	218	01-03-2022	14 M3	21 M3	6 M3	0
4	नि.गंदे पानी की नाली जगदीश की जमीन	14th	सुनील कुमार	9 / 11/05/22	232	21-04-2022	8 M3	15 M3	6 M3	0
5	नि एम्बुलेंस रोड हैंडपंप से चरण दास के घर तक	14th	सुनील कुमार	11 / 11/05/22	233	28-03-2022	20 M3	19 M3	0	0
6	नि. एम्बुलेंस रोड गुगलाहड से धीमान बसदी	14th	सुनील कुमार	13 /11/05/22	228	18-03-2022	0	29 M3	16 M3	0
7	नि. एम्बुलेंस रोड गुगलाहड से धीमान बसदी	14th	सुनील कुमार	13/1 /11/05/22	229	20-04-2022	15 M3	0	0	0
8	नि एम्बुलेंस रोड होशियार सिंह के घर से संसार चंद	14th	सुनील कुमार	15/ 11/05/22	225	16-03-2022	15 M3	8 M3	8 M3	0
9	नि एम्बुलेंस रोड सुरेश कुमार की जमीन से रतन चंद	14th	सुनील कुमार	19/ 11/05/22	221	02-03-2022	0	40 M3	26 M3	0
10	नि एम्बुलेंस रोड सुरेश कुमार की जमीन से रतन चंद	14th	सुनील कुमार	20/ 11/05/22	222	19-04-2022	20 M3	0	0	0
11	नि एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से बरतो देवी के घर तक	14th	सुनील कुमार	22/ 11/05/22	230	20-03-2022	0	32 M3	14 M3	0
12	नि एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से बरतो देवी के घर तक	14th	सुनील कुमार	23/ 11/05/22	231	20-03-2022	19 M3	0	0	0
	Total						**133 M3**	**206 M3**	**98 M3**	**0**

			2023-24							
1	नि. एम्बुलेंस रोड जसवीर के घर से रामप्यारी के घर तक	15th	सुनील कुमार	6 / 24/05/2023	358	01-05-2023	5 M3	9.15 M3	9 M3	0
2	नि. एम्बुलेंस रोड व नाली मैन रोड से करतार चंद के घर तक	15th	सुनील कुमार	7/ 24/05/2023	357	19-04-2023	7.70 M3	15.20 M3	13.10 M3	0
3	नि नाली गंदे पानी की निकासी हेतू सुरेंदर विजय कुमार आदि की जमीन	15th	सुनील कुमार	8/ 24/05/2023	355	19-04-2023	8 M3	16.5 M3	5.70 M3	0
4	नि. एम्बुलेंस रोड पीपल के पेड़ से बरडू राम के घर तक	15th	सुनील कुमार	9/ 24/05/2023	356	19-04-2023	7.3 M3	14.10 M3	3.50 M3	0
	Total						**28 M3**	**54.95 M3**	**31.3 M3**	**0**

सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत सिहोरपाईं
वि०ख० देहरा, कांगड़ा, हि०प्र०